

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-179 / 2019

निर्मला देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम्

शुभम कुमार दास

.....विरोधी पक्ष

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव के० गुप्ता

याचिकाकर्ता के लिए : सुश्री नीतू सिंह, अधिवक्ता

04 / 19.02.2021

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि वह त्रुटियों को दूर करने के लिए अंडरटेकिंग (अभिवचन) दायर करेगा, जैसा कि कार्यालय द्वारा बताया गया है, जैसे ही न्यायालय का भौतिक कामकाज फिर से शुरू होता है।
2. यह सिविल विविध याचिका स्थानांतरण याचिका (सिविल) वाद सं०-54 / 2018 की पुनःस्थापन हेतु दायर की गई है, जिसे दिनांक 15.02.2019 के अदालत के आदेश का पालन न करने के लिए 01.03.2019 को चूक के कारण खारिज कर दिया गया था।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि यदि स्थानांतरण याचिका (सिविल) वाद सं०-54 / 2018 को उसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति और हानि होगी।
4. सुना। बताए गए कारणों से संतुष्ट होने के कारण, इस सिविल विविध याचिका की अनुमति है और स्थानांतरण याचिका (सिविल) वाद सं०-54 / 2018 को इसकी मूल फाइल में बहाल करने का आदेश

दिया जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता स्थानान्तरण याचिका (सिविल) वाद सं०-54/2018 में पारित पहले के आदेश का पालन करेंगे।

(अमिताव के० गुप्ता, न्याया०)